राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2009/2012/हनुमानगढ़.

मैसर्स थार विजन, भगतसिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/07/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 98/आरवैट/हनुमानगढ़/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26, 55, 58 व 61 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के विवादित बिन्दु के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म द्वारा रूपये 3,10,000/– के 775 वी.सी. कार्ड टी.वी. कनेक्शन के लिए Set Top Box में लगाने हेतु अपने ग्राहकों को दिये गये थे जिसके लिये प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक कार्ड के लिए रूपये 400/– की दर से सिक्युरिटी राशि प्राप्त की गई थी इस राशि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वी.सी. कार्ड के विक्रय के प्रतिफल में लिया जाना मानते हुए इसे कर योग्य मानते हुए उक्त टर्नओवर पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर एवं ब्याज आरोपित किया गया जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त राशि को विक्रय राशि मानते हुए कर रूपये 38,750/– एवं ब्याज 8,511/– यथावत रखा गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित वस्तु वी.सी.कार्ड के जरिये डी.टी.एच. का कनेक्शन प्राप्त करते हैं जिसे Set Top Box में रखे जाने पर उसे एक्टीवेट किया जाता है। कथन किया कि वी. सी.कार्ड का मूल कार्य सर्विस प्रदाता द्वारा दिये जाने वाले सिग्नल को प्राप्त करना होता है जो कि मात्र एक सर्विस कार्य है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स भारत संचार निगम लि., बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2006) 145 एसटीसी पेज 91** के निर्णय अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयोग हेतु दी जाने वाली वस्तु कर योग्य नहीं होगी।

4. विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा वी. सी.कार्ड का कोई विक्रय नहीं किया गया बल्कि अपने ग्राहकों से सिक्युरिटी राशि प्राप्त की गई है जिसे ग्राहक द्वारा वी.सी.कार्ड लौटाये जाने पर रिफण्ड की जाती है अतः माल हस्तान्तरण में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होने के बावजूद इसे विक्रय माना जाना अविधिक है अतः इस आधार पर भी आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Set Top Box को एक्टिवेट करने के लिए जो वी.सी. कार्ड ग्राहकों को दिये गये थे एवं प्रति वी.सी. कार्ड जो राशि दी गई थी उसे सिक्युरिटी राशि व्यवसाई द्वारा बतायी गई है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि लेखा पुस्तकों में एक भी प्रविष्टि राशि लौटाई जाने बाबत नहीं की गई है अतः उसे विक्रय माना गया है। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया है कि वह राशि लौटाने योग्य है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित राशि पुनः ग्राहकों को रिफण्ड कर दी गई है तब उस राशि पर किये गये करारोपण को अपास्त करें। अपीलार्थी व्यवसायी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष सिक्युरिटी राशि को लौटाये जाने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करें।

7. फलतः अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनया गया।

20/7/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष